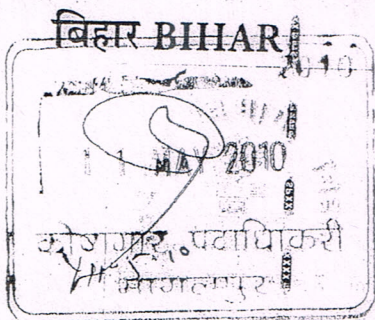
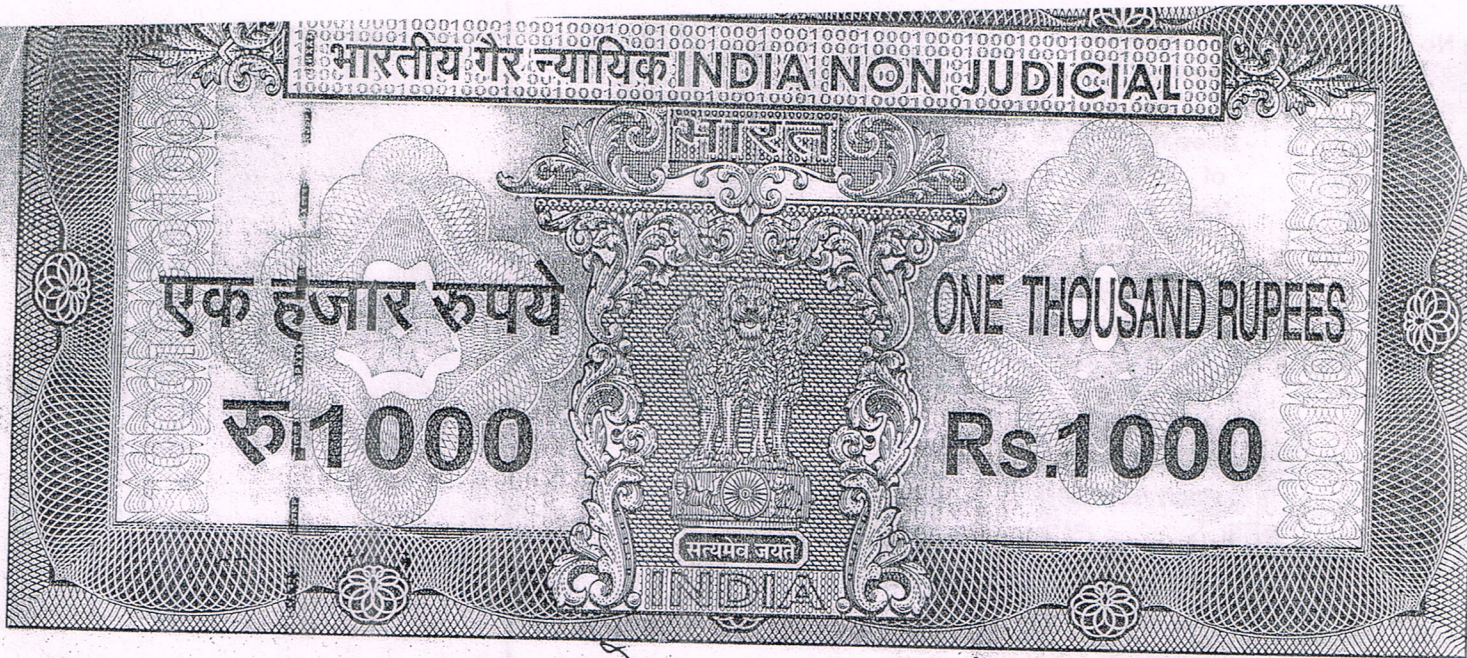




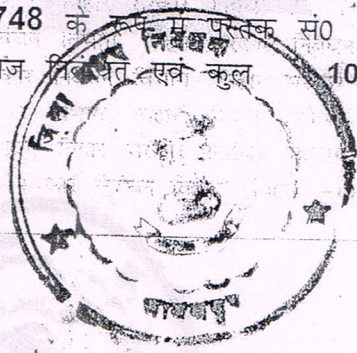
श्री राजेश कुमार 71525
 साकिन- बेरमा- थाना
 महल्ला- जिला
 गोड्डा जिला
 सा. नं. 165-166/74
 बिमलेश्वर घोष
 सा. नं. 165-166/74
 बिहार सरकार
 जिला निबंधन कार्यालय, भागलपुर

E 257982

दिनांक 21/05/2010 को श्री/श्रीमती राजेश कुमार नि. नं. 165-166/74 द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु. 30200/- मुद्रांक शुल्क एवं रु. 545/- निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य माया गया। जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इस निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं. 7748 के पुस्तक सं. 1 की जिल्द सं. 98 के पृष्ठ 296 से 305 तक CD 14 में आज निबंधित एवं कुल 10 पृष्ठों में संधारित किया गया।

Date : 21/05/2010

SCANNED

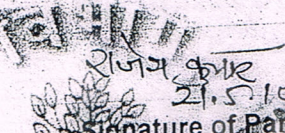
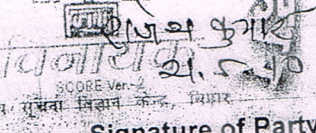
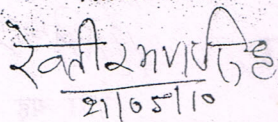
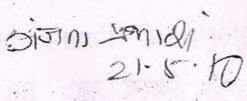
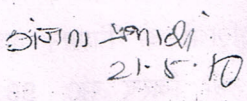


हो. (Shreeram)
 निबंधन पदाधिकारी

1. नाम लेख्यकारीगण :- 1. डाँ0 राजेश कुमार पिता स्व0 कुंज बिहारी राम वा 2. डाँ0 श्रीमति अंजना प्रकाश पति डाँ0 राजेश कुमार जीवित जाति कुर्मी, पेशा चिकित्सा गैरह साकिन बेरमा, थाना मेहरमा, जिला गोड्डा। हाल निवासी महल्ला मशाकचक थाना कोतवाली, हाल थाना आदमपुर, शहर वा जिला भागलपुर। प्रथम पक्ष



राजेश कुमार 21.5.2010
 अंजना प्रकाश 21.5.2010
 Ramen and Sishu 21.5.2010

en No : 8410	of 2010	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
pe & Status of Party	Name of Party						
ial No :	Deed No : 7748						
en No : 8410	of 2010						
pe & Status of Party	Name of Party	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
esented by	Rajesh Kumar Dr.						
if	 Signature of Party Rajesh Kumar Dr.			55 V42/2010			
ecuted by	 Signature of Party Parmanand Singh						
ecuted by	 Signature of Party Rweti Raman Singh		56 V42/2010				
entifier	 Signature of Party Anjana Prakash Dr.			57 V42/2010			
Executed by	 Signature of Party						





एवं

2. श्री परमानंद सिंह पिता स्व० गणेश प्रसाद सिंह जाति हिन्दु, पेशा— व्यापार गैरह, हाल निवासी सबौर, थाना सबौर, सब रजिष्ट्री वो, जिला भागलपुर, राष्ट्रीयता भारतीय।.....द्वितीय पक्ष(जो डभलपर के नाम से जाने जायेगे)

2. नाम लेख्यधारी :- वहक एक दूसरे के

3. लेख्य प्रकार :- भूखण्ड विकास हेतु डभलपमेंट एग्रीमेंट।

4. लेख्य मूल्य :- मोवलग 15,10,000/- पन्द्रह लाख दस हजार रुपैया।

4. सम्पति का विवरण :- अराजी भूमि लगभग 12235 बारह हजार दो सौ पैतीस वर्गफीट तांके डिसमल 28.14 अट्टाईस दशमलव एक चार डिसमल होता है। अराजी परती आवासीय भूमि, जो कि बहुमंजिली इमारत बनाने (संरचना) हेतु प्रस्तावित है, बांके मौजा फतेहपुर, थाना सबौर हाल थाना जीरो माईल सब रजिष्ट्री वो जिला भागलपुर जिसका थानानं० 23 हल्का नं० 1 वो जमाबंदी नं० 2101 वो 1369 मोकरर है अंदर जमींदारी बिहार सरकार वजरिये अंचल कार्यालय सबौर जिला भागलपुर के सालियाना लगान मो० 12/- अलावे शेष देना होता है। हस्व चौहद्धी जैल के डभलपमेंट एग्रीमेंट किया।।

खाता नं०:- 155 एक सौ पचपन

खेसरा नं०:- (235) दो सौ पैतीस

रकवा :- 12235 वर्गफीट

उत्तर- रानी तालाब पोखर

दक्षिण :- सबौर रोड

पुरब :- रास्ता सर्व साधारण खेसरा नं०. 2365

पश्चिम :- शंभू ठाकुर

वाजे रहे कि द्वितीय पक्ष (डेवलपर) उक्त जायदाद की पैमाईस अमीन द्वारा करा लेगे। पैमाईस नक्सा पर दोनौ पक्षों का हस्ताक्षर सिप्त रहेगा।

संदर्भ

यह कि उक्त जायदाद मजकूर वर्णित खाना नं० 5 वाली संपति प्रथम पक्ष को कित्ता केवाला दो से खरीदगी संपति है जो निबंधन कार्यालय भागलपुर में 7.6.1995 एवं 9.10.1991 ई० को निबंधित हुई है। जिसमें पहला कित्ता केवाला का बुक नं० 1 भोलूम नं० 95 पेज नं० 29 से 48 वो दस्तावेज नं० 5818 नविस्ते प्रोगेसिव एग्री एण्ड इंजिनियरिंग वर्क्स मैनेजिंग पार्टनर श्री गौरी शंकर शर्मा पिता तुलसी राम शर्मा मोताफा वो श्री प्रभात नारायण शर्मा पिता दास नारायण शर्मा पेशादारान कास्तकारी साकिन निवासी गुलजारबाग स्टेशन रोड पटना 7 हाल वासी मुन्दीचक, थाना कोतवाली, सब रजिष्ट्री वो जिला भागलपुर जो साढे बारह डिसमल के

रजिस्ट्रार

21.5.2020

रजिस्ट्रार

21.5.2020

Signature

21.5.2020



खरीदगी हासिल पाया है। वो कित्ता केवला दुसरा का जिसका दस्तावेज नं० 14918 नविस्ते मोहम्मद ताज वो फुल मोहम्मद पेसरान मोहम्मद गुलाम रसुल मरहुम वगैरह जाति मुसलमान पेशादारान कास्तकारी वगैरह साकिनान फतेहपुर थाना सबौर सब रजिष्ट्री वो जिला भागलपुर जो 6790 वर्गफीट अराजी के खरीदगी हासिल पाया है। जुमला मवाजी 12235 वर्गफीट प्रथम पक्ष के खरीदगी हासिल पाया है। जिस पर प्रथम पक्ष निर्विवाद रूप से सोलह आना काविज दखलकार चले आते हे। वो आज तक है। अजान जायदाद प्रथम पक्ष है जिस पर किसी भी दूसरो का हक वो कब्जा नहीं है।

उपरोक्त जायदाद पर प्रथम पक्ष एक बहुमंजिला भवन निर्माण करना चाहते हैं लेकिन अर्थ (पूँजी) के अभाव में ऐसा करना प्रथम पक्ष के लिए संभव नहीं है। इसलिए प्रथम पक्ष ने डभलपर/विल्डर से सम्पर्क किया और आखिरकार द्वितीय पक्ष के साथ खाना नं० 5 में वर्णित भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्माण द्वितीय पक्ष द्वारा अपने खर्च से किये जाने से संबंधित कूल शर्तें तय वो पक्की की गई, ताकि बहुमंजिला भवन निर्माण का कार्य समुचित ढंग से सम्पादित किया जा सकें।

यह कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी स्वस्थ एवं मानसिक स्थिति में स्वेच्छा से अपना अपना लाभ एवं हानि अच्छी तरह समझ बुझ कर बिना किसी दबाव, वहकाव धोखा-फरेब के निम्नलिखित तय शुदा शर्तों को वजरिये इस डभलपमेंट एग्रीमेंट के वहक एक दुसरे के लिख दिया ताकि उसकी बाध्यता दोनों पक्षों पर तथा उनके वैध प्रतिनिधियों पर बनी रहें। जो इस प्रकार है।

शर्त

1. यह कि प्रथम पक्ष कंडिका 5 में वर्णित भूमि के जमीन मालिकान के नाम से जाने जायेगे तथा द्वितीय पक्ष उक्त भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्माण करेगें इसलिए वतौर विल्डर/डभलपर के नाम से जाने जायेगे।
2. यह कि प्रथम पक्ष कण्डिका 5 में वर्णित भूमि पर बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु द्वितीय पक्ष को आज कि तिथि से दिया वो अधिकृत किया तथा द्वितीय पक्ष अपने खर्च से भवन निर्माण करने संबंधित भूखण्ड को लेना स्वीकार्य किया।
3. यह कि द्वितीय पक्ष अपने नाम से या प्रथम पक्ष के नाम से जैसा संभव हो, उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन निर्माण हेतु आर्किटेक्ट या असैनिक अभियंता से नक्सा बनवा लेंगे तथा उससे संबंधित विभाग/अधिकारी से पास करवा लेंगे तत्पश्चात् भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करेगें। इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपति नहीं होगी।
4. यह कि द्वितीय पक्ष भवन निर्माण में उपयोग होने वाली सामग्री यानि ईटा, सिमेंट, बालू, मिट्टी, छड़, लकड़ी विद्युत तार इत्यादि

शेजान कुमार
21.5.2010

इमरान गुलाब
21.5.2010

Barwa and Silt,
21.5.2010

सामग्रा अपन नाम स खरादग जिसका भुगतान द्वितीय पक्ष करने के लिए बाध्य होंगे।

5. यह कि प्रथम पक्ष आज तारीख से उक्त भूखण्ड पर द्वितीय पक्ष या उनके प्रतिनिधि, कर्मचारी मजदूर या संबंधित व्यक्ति जिनका भवन निर्माण कार्य में होना आवश्यक है, को जाने की अनुमति देंगे तथा भूखण्ड पर आकर नापी करने जगह को खोदने, चाहरदिवारी करने एवं भवन निर्माण समाप्ति रखने गोदाम एवं मजदूर आवास आदि हेतु व्यवस्था करने में कोई रुकावट नहीं करेंगे वलिक इसमें सहयोग देंगे।
6. यह कि द्वितीय पक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि निर्माण कार्य हेतु तिथि एवं स्थान का चयन संबंधित कर्मचारी राजमिस्त्री मैनेजर, दरवान आर्किटेक्टर अभियंता आदि की नियुक्ति अपने इच्छा एवं सुविधानुसार करेंगे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
7. यह कि द्वितीय पक्ष, जब भी जहां भी अनापत्ति प्रमाण पत्र या सहमति पत्र देने के लिए प्रथम पक्ष से अनुरोध करेंगे या कार्यालयों में वैधानिक रूप से आवश्यकता हो तो प्रथम पक्ष अविलम्ब संबंधित प्रमाण पत्र देंगे वो उपस्थित होंगे, इसमें कोई विलम्ब नहीं करेंगे।
8. यह कि प्रथम पक्ष को प्रत्यक्ष वो परोक्ष रूप से किसी प्रकार का सरोकार, बहुमंजिला भवन के निर्माण कार्य से नहीं होगा। द्वितीय पक्ष खाना नं० 5 में वर्णित भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन निर्माण का कार्य नक्सा स्वीकृति के छः माह के अन्दर शुरू कर देंगे और इसमें लगने वाली कुल लागत वो खर्च वो पूँजी की व्यवस्था स्वयं वो अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे। निर्माण कार्य में होने वाले कुल खर्च की जिम्मेदारी वो जबाबदेही द्वितीय पक्ष की हैं वो रहेगी प्रथम पक्ष को इससे कोई सरोकार नहीं है और न होगा।
9. यह कि बहुमंजिला भवन के निर्माण के उपरान्त निर्मित आवासीय सह व्यवसायिक भवन का विभाजन दोनों पक्षों के बीच होगा। प्रथम पक्ष संपूर्ण निर्मित भवन स्थान में से 25 प्रतिशत के ही भागीदार होंगे तथा 75 प्रतिशत भाग द्वितीय पक्षकार का होगा जो संपूर्ण निर्माण कार्य में अपना या अपने अन्य स्रोत से लगाकर निर्माण करेंगे इस प्रकार निम्नित भवनों का स्वत्व एवं स्वामित्व दोनों पक्षों के बीच 25:75 का होगा। तथा उसका विभाजन दोनों पक्ष आपसी सहमति से करेंगे। दोनों पक्ष संयुक्त रूप या स्वतंत्र रूप से क्रेता के पक्ष में हस्तान्तरण विलेख या विक्रय पत्र निष्पादन करने के लिए अपने अपने हिस्से के भाग को करने के लिए पूर्ण रूपेण सक्षम होंगे और आवश्यकता एवं सुविधानुसार हस्तान्तरण हेतु विक्रय क्रेता के पक्ष में निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
10. यह कि प्रथम पक्ष वो द्वितीय पक्ष उक्त संरचना में अपनी अपनी हिस्सेदारी क्रमशः 25 प्रतिशत वो 75 प्रतिशत का विभाजन आपसी

राजेन कुमार

21.5.2010

अंजना प्रकाश

21.5.2010

Prima Real Sign.

21.5.2010



सहमति से बहुमंजिला भवन के निर्मित किये जाने वाले नक्से के आधार पर कर लेंगे और इसकी सहमति स्वरूप एक लिखित दस्तावेज मय नक्सा अलग से इस आशय का बना लेंगे।

11. यह कि दोनों पक्षों के आपसी सहमति से बहुमंजिला भवन के सम्पूर्ण निर्माण कार्य के पूर्ण रूपेण सम्पादित करने की समय सीमा 5 वर्ष की निर्धारित की गई है, उक्त समय सीमा प्रस्तावित बहुमंजिला भवन निर्माण के नक्सा स्वीकृत विभाग द्वारा होने की तिथि से लागू मानी जायेगी। जिसके अन्दर ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए द्वितीय पक्ष उत्तरदायी होंगे। यदि विलम्ब का करण किसी वैधानिक अडचन हो और द्वितीय पक्ष के प्रयास के बावजूद भी निर्माण अवधि में विलम्ब की संभावना हो ऐसी स्थिति में आपसी सामंजस्य के अनुसार समयावधि तय की जायेगी जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। लेकिन इसके उपरांत भी यदि निर्माण कार्य पुरा नहीं होता है तो वैसी स्थिति में प्रथम पक्ष की संरचना में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला जो भाग पूर्ण रूपेण पूरा नहीं होता है उस भाग का निर्माण कार्य पूरा करने में जो लागत और लगने की संभावना होगी उसका मूल्यांकन कर उस पर बारह प्रतिशत सलाना की दर से व्याज अदाय करने के लिए द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को पायबंद होंगे जब तक की उपरोक्त भाग का निर्माण कार्य पूरी तरह सम्पादित नहीं हो जाता है।

12. यह कि द्वितीय पक्ष को इस समझौता पत्र के आधार पर अपना 75 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र फ्लैट/दुकान आदि को मय अनुपातिक जमीन वगैरह के साथ पार्ट पार्ट कर विक्री करने वो कोई कीमत तय करने वो एकरारनामा करने वो अग्रिम या अन्य राशि इस मद में प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा उसी प्रकार प्रथम पक्ष को यदि वो चाहें तो अपने 25 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र फ्लैट/दुकान आदि को मय अनुपातिक जमीन वगैरह के साथ पार्ट पार्ट कर विक्री करने वो कोई कीमत तय करने वो एकरारनामा करने वो अग्रिम या अन्य राशि इस मद में प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

13. यह कि निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिये विद्युत कनेक्शन लेने की आवश्यकता द्वितीय पक्ष की होगी तो वे स्वयं अपनी इच्छा एवं सुविधानुसार विद्युत विभाग में आवेदन देंगे तथा विद्युत कनेक्शन लेने के लिये स्वतंत्र होंगे। परंतु निर्माण काल में जितना विद्युत विपत्र होगा उसका भुगतान का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। इसी प्रकार द्वितीय पक्ष दूरभाष कनेक्शन भी ले सकते हैं। उसके विपत्र का दायित्व भी द्वितीय पक्ष का होगा।

14. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा किसी अन्य क्रेता के पक्ष में अपने अंश के विक्रय एकरारनामा करने की स्थिति में प्रथम पक्ष के उपरोक्त एकरारनामा पर पुष्टि, हेतु अपना हस्ताक्षर करेंगे ठीक उसी प्रकार

21/5/2010

21.5.2010

21/5/2010

21.5.2010

21.5.2010

21.5.2010

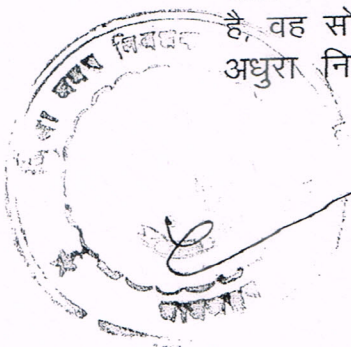
प्रथम पक्ष द्वारा अपने अंश का किसी अन्य क्रेता के पक्ष में विक्रय एकरारनामा करने की स्थिति में यदि क्रेता चाहे तो द्वितीय पक्ष उपरोक्त एकरारनामा पर पुष्टि हेतु अपना हस्ताक्षर करेंगे।

15. यह कि द्वितीय पक्ष को यह पूर्ण अधिकार है कि प्रस्तावित बहुमंजिली भवन की संरचना में जितना फ्लैट/दुकान वगैरह का भाग उनकी 75 प्रतिशत हिस्सेदारी में आता है उसे अपनी इच्छा और सुविधा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा मूल्य लेकर इच्छुक क्रेताओं के हाथ बेचे और इसके लिये निर्माण के पूर्व या निर्माण काल के अन्तर्गत या निर्माण सम्पूर्ण होने के उपरान्त इच्छुक क्रेताओं के साथ अलग अलग एकरारनामा वो विक्रय पत्र दस्तावेज तामिल करें। विक्रय राशि का निर्धारण करें तथा अग्रिम राशि वसूल करें इससे प्रथम पक्ष को कोई आपति नहीं होगी। इच्छुक क्रेता किसी वित्तीय संस्था से कर्ज लेकर फ्लैट आदि क्रय करने का इच्छुक हो तो उसके लिए द्वितीय पक्ष संबंधित क्रेता से मिलकर वित्तीय संस्थान के पक्ष में विलेख निष्पादित करेंगे। अगर द्वितीय पक्ष बहुमंजिला इमारत निर्माण करने हेतु सरकारी या गैरसरकारी वित्तीय संस्थान ऋण लेना चाहेंगे उसमें हम प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। या इस प्रायोजन हेतु द्वितीय पक्ष उक्त अराजी को वित्तीय संस्थान के मदद से मारगेज वगैरह भी कर सकते हैं। इस संबंध में हम प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को पूरी तरह मदद करेंगे। इसमें प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं है वो न होगा।

16. यह कि भवन निर्माण काल के अन्तर्गत मुख्य कार्यों का निरीक्षण समय समय पर प्रथम पक्ष करेंगे इसमें द्वितीय पक्ष को कोई आपति नहीं होगा। तथा समय समय पर निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे।

17. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा खाना नं० 5 में वर्णित उक्त भूखण्ड पर बहुमंजिला भवन निर्माण किये जाने के दौरान आज की तिथि के बाद कोई भी घटना दुर्घटना उक्त भूमि या उस पर किये जाने वाले कार्यों से संबंधित के लिए द्वितीय पक्ष ही जिम्मेदार होंगे वो माने जायेंगे। प्रथम पक्ष को इसके लिए किसी भी तरह उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।

18. यह कि किसी कारणवश द्वितीय पक्ष निर्माण कार्य से विमुख या असफल हो जाय और प्रोजेक्ट बन्द हो जाय तो वैसी स्थिति में अग्रिम जमानत राशि जो द्वितीय पक्ष से प्रथम पक्ष प्राप्त कर चुके हैं, वह सोख्त मानी जायेगी। तथा जितना भी व्यय अपूर्ण कार्य या अधूरा निर्माण के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा किया जायेगा उसका



राजेश कुमार

21-5-2010

अंजना प्रकाश

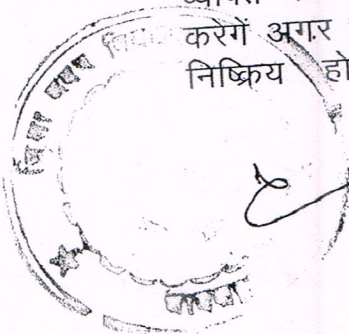
21-5-2010

Barma and Saha.

21-5-2010

समायोजना दिगर बिल्डर जो भी उक्त भूखण्ड पर अधूरा। नमाण कार्य पूरा करना चाहेगा उससे प्राप्त कर लेंगे या उनके साथ अनुबंध कर अपनी राशि प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी स्थिति में यह डबलपमेंट एग्रीमेंट स्वतः खंडित हो जायेगा।

19. यह कि उपरोक्त भूखण्ड सभी प्रकार के विवादों से परे हैं। हदबंदी अधिनियम के अंतर्गत भी भूमि का अर्जन नहीं हुआ है। तथा हदबंदी विभाग के दायरे में नहीं है और न किसी व्यक्ति का दावा भूमि पर है और न कोई वाद किसी न्यायालय में लंबित है भूमि सभी प्रकार के कर्ज से मुक्त है। यदि भविष्य में कोई स्वत्व या विवाद कर्ज या दावा का विवाद या अर्जन संबंधित विवाद खड़ा हो जाये तो उसकी पूरी जबाबदेही प्रथम पक्ष की है और होगी। यदि निर्माण कार्यों के कारण आस पास भूखण्डों के मालिक या मालिकों द्वारा द्वितीय पक्ष की गलती या असावधानी से किसी प्रकार का वाद या झंझट खड़ा हो तो उसकी जिम्मेवारी वो उसे निपटारा करने के लिये द्वितीय पक्ष ही एक मात्र उत्तरदायी होंगे।
20. यह कि द्वितीय पक्ष आवश्यकतानुसार किसी विभाग या सरकारी कार्यालय या न्यायालय में आवेदन देने, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अपने खर्च पर वकील रखने, पैरवी करने वकालतनामा निष्पादित करने, शपथ पत्र देने या निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र एवं अधिकृत हैं।
21. यह कि भवन निर्माण संपूर्ण होने के उपरांत या इस दस्तावेज के उपरांत द्वितीय पक्षकार का 75 प्रतिशत भाग एवं प्रथम पक्ष का 25 प्रतिशत भाग नक्से के अनुसार विभाजित कर लेंगे।
22. यह कि द्वितीय पक्ष अपने 75 प्रतिशत विभाजित प्लॉटों/दुकानों का विक्रय विलेख का निष्पादन स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त अटर्नी के द्वारा निष्पादित करने के लिये सक्षम माने जायेंगे। बहुमंजिला भवन निर्माण कार्य को विधिवत पूरा करने वो द्वितीय पक्ष को अपने हिस्सेदारी वाले भाग को विक्रय करने आदि सभी कार्यों को सम्पादित करने के लिए प्रथम पक्ष इस आशय का अधिकार भी द्वितीय पक्ष को प्रदान करते हैं कि द्वितीय पक्ष स्वतंत्र होकर अपने हिस्से के 75 प्रतिशत भाग की रजिस्टर्ड जरवियाना वो विक्रय पत्र अपने इच्छानुसार करेंगे, इसमें हम प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं है वो न भविष्य में होगा।
23. यह कि आज तारीख से उपरोक्त शर्तों के रहते हुए प्रथम पक्ष उपरोक्त भूखण्ड का हस्तान्तरण किसी प्रकार से भी किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं करेंगे और न सहमति पत्र का निष्पादन करेंगे अगर शर्तों के विखण्डित होने या सहमति पत्र के प्रभाव को निष्क्रिय होने की स्थिति उत्पन्न हो जाय तो प्रथम पक्ष वैधानिक



21.5.2010

21.5.2010

21.5.2010

21.5.2010

- सूचना देकर अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। वो इस संबंध में द्वितीय पक्ष को जो भी हानि होगी उसकी भरपाई प्रथम पक्ष करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
24. यह कि अगर आपस में किसी विन्दु पर दोनों पक्षों में विवाद हो तो उसका निपटारा दोनों पक्ष आपसी सहमति से या उपरोक्त विधिक सलाहकार को पंच नियुक्त कर सकते हैं। पंच की नियुक्ति नहीं होने पर आरबीटेशन एक्ट के तहत विवादों का निपटारा किया जायेगा जो दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा।
25. उपरोक्त उक्तियां एवं शर्तों की स्वीकृत के प्रमाण में दोनों पक्षों ने आज इस दस्तावेज पर अपना अपना हस्ताक्षर, साक्षियों के समक्ष कर दिया जो दो प्रतियों में मूल रूप से हैं। एव एक - एक प्रति दोनों पक्षों के पास रहेगा।
- दोनों पक्षकारों के बांये हाथ के पांचों अंगुलियों के निशान एवं द्वितीय पक्षकार के छाया चित्र इस दस्तावेज में सिप्त है

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर
 Parmar and Singh.

प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर

1. राजेश कुमार 21.5.2020
2. अंजना कुमार 21.5.2020

गवाह:-

(1) रेवती रमण सिंह
 पता: लक्ष्मी शांती शांति
 कोल: लोरेन केम्पल, लोरेन
 भागलपुर
 उम्र: 28 वर्ष

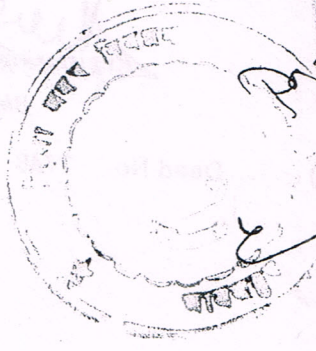
(2) मनोज कुमार सिंह
 स्वे. जागेश्वर प्र. सिंह
 मुदा नाथ जी रा 21.5.2020
 4/1/1

Witnessed by:

Shiraj Kumar
 Adv.

B.N. 125/04
 21.05.10

टंकक,
 योगेन्द्र चन्द्र
 न्या.हाता, भा
 दिनांक



Parmar and Singh,
 21.5.2020

Admissible under Rule 21 : duly stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 05. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 30200
 Addl. Stamp duty paid under RDA/Municipal Act Rs.
 (Paid Rs. 1000/- by N.J. Stamp Paper and Rs. 29745/- through Bank Challan.)

FEE PAID	A1	0 C	0 H1b	0 Ka1	0 Lii	0 LLR
	A8	0 D	0 H2	0 K1b	0 Liii	0 Proc. Fee
	A9	0 DD	0 I	0 K1c	0 Mb	0
	A10	0 E	250 J1	0 K2	0 Na	45
	B	0 H1a	0 J2	0 Li	0 Scan	250

Total Fee
545

Registering Officer
Bhagalpur

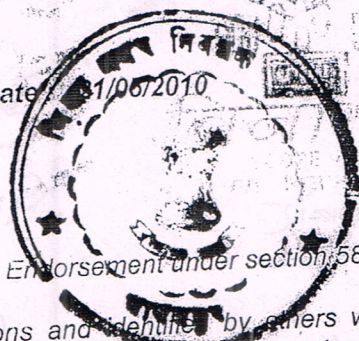
Date : 21/05/2010

Endorsement under section 52

Presented for registration at 04:27 PM on Friday, 21st May 2010 at the District
 Registry Office, Bhagalpur by Rajesh Kumar Dr.
 (Executant) Kunj Bihari Ram
 by profession Agriculture.

Signature of Presentant

Date 21/05/2010



Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument and are identified by Rwati Raman Singh age Sex M son/daughter of Shaligram Singh resident of Sabour, Bhagalpur.

Registering Officer
Bhagalpur

Date : 21/05/2010

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/SRO Bhagalpur having 10 pages, in the volume CL-14 and document no. of which is printed on the First Page of the document.

Registering Officer
Bhagalpur

Date : 21/05/2010

Token No. 8410 Year - 2010 Sl.No. 8348

SCORE Ver. 2.0

Deed No. 7748 NIC-Bihar